भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1222

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2022/3 श्रावण, 1944 (शक) को दिया गया

बैंकिंग धोखाधड़ी

1222. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे: श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: डॉ.अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकिंग क्षेत्र और आरबीआई द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के बाद भी सार्वजनिक और निजी दोनों बैंक देश में बैंकिंग धोखाधड़ियों को रोकने में विफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में बैंकिंग धोखाधड़ियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और यदि हां, तो बैंक-वार ऐसी धोखाधड़ियों के कारण ग्राहकों और बैंकों को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक और चालू वर्ष के दौरान बैंक-वार सामने आई बैंकिंग धोखाधड़ियों और उसमें शामिल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बैंकिंग धोखाधड़ियों और इस संबंध में हुई धनराशि की जांच के लिए बैंकों द्वारा क्या तंत्र विकसित किया गया है;

(ड) क्या आरबीआई ने देश में बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ियों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक और निजी बैंकों की कोई बैठक बुलाई है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उसके परिणाम सहित बैंकिंग धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा आरम्भ की गई कानूनी कार्रवाई के परिणामस्वरूप सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी धनराशि वसूल की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, धोखाधड़ी की घटना की तारीख के आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि में वित्त वर्ष 2019-20 में 32,178 करोड़ रूपये से वित्त वर्ष 2020-2021 में 11,800 करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2021-22 में 3,785 करोड़ रुपये की कमी आई है। गत तीन वित्तीय वर्ष के लिए घटना के वर्ष तक प्रत्येक धोखाधड़ी में 1 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में एससीबी में धोखाधड़ी की संख्या का बैंक-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में है।

(घ) से (च): धोखाधड़ियों पर आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुसार, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाने के लिए बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और धोखाधड़ी जांच कार्य के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित आंतरिक पॉलिसी तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बैंक के सीईओ, बैंक बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और बैंक बोर्ड की विशेष समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, धोखाधड़ी की निगरानी और धोखाधड़ी की जांच के कार्य का स्वामित्व उनके पास हो। इसके अलावा, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच के लिए व्यापक स्वचलित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) को संस्थागत बनाना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने इसे 80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर्स के साथ संस्थागत रूप दिया है और समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाई के लिए तृतीय पक्ष के डेटा का उपयोग सक्षम बनाया है।

इसके अलावा, आरबीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपनी पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, यह बैंकों सहित पर्यवेक्षित संस्थाओं की मूल्यांकन रिपोर्ट में चिन्हित विभिन्न चिंताओं / प्रमुख मुद्दों पर उनके शीर्ष प्रबंधन के साथ चर्चा करता है। बैंकों को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच बैंकों के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान नमूना आधार पर की जाती है और बैंक के विरुद्ध पर्यवेक्षण/प्रवर्तन की कार्रवाई शुरू करने के अलावा सुधार के लिए संबंधित बैंक के साथ, जैसा की उचित समझा जाता है, किसी भी अननुपालना को उठाया जाता है। साथ ही, बैंकिंग धोखाधड़ी पर रोक लगाने और जालसाजों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं –

(i) बैंकों द्वारा सूचित किए गए धोखाधड़ियों के संबंध में केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री के रूप में समायोजित पहचान, नियंत्रण और धोखाधड़ी जोखिम में कमी और ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान समुचित सावधानी बनाए रखने के लिए भी ऑनलाइन सर्चेबल डेटाबेस स्थापित किया गया है।

(ii) आरबीआई ने धोखाधड़ियों पर मास्टर निदेशों को जारी किया है जिसमें बैंकों को निर्धारित राशि से परे की धोखाधड़ियों की सूचना पुलिस को देने, विशेष समिति द्वारा मामले की निगरानी और जांच करने, बैंक बोर्ड के लेखापरीक्षा समितियों के समक्ष त्रैमासिक सूचना देने और बैंकों द्वारा धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करने की आवश्यकता है। इन समीक्षाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवारक उपाय, धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, प्रणालीगत कमी, सुधारात्मक कार्रवाई, जांच और वसूली की प्रगति की निगरानी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी शामिल हैं।

(iii) आरबीआई ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और ऋण धोखाधड़ियों का जल्दी पता लगाने के लिए आरबीआई और जांच एजेंसियों को तेज़ी से सूचना देने के लिए और कर्मचारियों की जवाबदेही की समयोजित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आरबीआई ने ऋण धोखाधड़ियों और रेड फ्लैग्ड़ खातों (आरएफए) को निपटाये जाने के लिए रूपरेखा तैयार की है जिससे बैंकों को देखे गए प्रारंभिक चेतावनी के संकेत के निरीक्षण या मूल्यांकन के आधार पर संभाव्य धोखाधड़ी खातों का आरएफए के रूप में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है।

(iv) आरबीआई ने बैंकों को (विधिक सर्च रिपोर्ट, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता के रिपोर्ट आदि जैसे) अपूर्ण तृतीय पक्ष की सेवाओं और भारतीय बैंक संघ, जो ऐसे सेवा प्रदाताओं की सतर्कता सूची को बनाए

रखते हैं, को जालसाजों के साथ इन सेवा प्रदाताओं की मिलीभगत की सूचना देने के लिए अनुदेश दिया है।

(v) गृह मंत्रालय द्वारा सभी प्रकार के साईबर क्राइम से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को शुभारंभ किया गया है और ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने के लिए टोल-फ्री नंबर को भी परिचालनरत किया गया है।

(vi) गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोओर्डिनेशन सेंटर द्वारा धोखाधड़ी की सूचना तत्काल देने और जालसाजों के द्वारा निधियों की गलत तरीक से निकासी को रोकने के लिए वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल का परिचालन शुरू किया गया है।

(vii) भगौड़ा आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने, ऐसे अपराधियों की संपत्ति की कुर्की करने और अपराधी के किसी सिविल दावे का बचाव करने के हक से वंचित करने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया है।

(viii) लुकआउट परिपत्र जारी करने के लिए अनुरोध करने हेतु पीएसबी के प्रमुखों को सशक्त किया गया है।

(ix) सरकार द्वारा आरबीआई के अनुदेशों और उनकी बोर्ड अनुमोदित पालिसियों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ के प्रकाशन पर निर्णय लेने के लिए पीएसबी को सुझाव जारी किया गया है।

(x) पीएसबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तक/निदेशक और अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

पूर्वोक्त उपायों से समर्थित, एससीबी में सकल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में धोखाधड़ी की घटना वित्त वर्ष 2013-14 में 1.05% के शिखर से वित्त वर्ष 2021-22 में 0.02% तक तेजी से कम हुई।

बैंकों द्वारा वसूल की गई राशि के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि इस संबंध में उसके द्वारा विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ऋण पोर्टफोलियो में धोखाधड़ी मुख्य रूप से संख्या और मूल्य दोनों के मामले में होती रही है। आरबीआई/सरकार द्वारा किए गए उपायों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा की गई कानूनी कार्रवाइयों से सक्षम होकर उन्होंने पिछले तीन वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों सहित, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों में 4,02,567 करोड़ रुपये की वसूली की है।

*****

अनुबंध

बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1222

गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए, घटना के वर्ष तक, प्रत्येक धोखाधड़ी में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि के संबंध में एससीबी में धोखाधड़ी की संख्या का बैंक-वार और वर्ष-वार विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22
एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	--	0.97	--
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्पोरेशन	7.17	10.46	2.99
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.88	1.98	0.12
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड	125.53	--	--
एक्सिस बैंक लिमिटेड	1,803	47	28
बंधन बैंक लिमिटेड	2	8	1
बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन	--	--	6
बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी.	--	--	5
बैंक ऑफ बड़ौदा	2,319	332	570
बैंक ऑफ इंडिया	1,026	222	21
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	175	19	5
बार्कलेज बैंक पीएलसी	121	--	--
बीएनपी पारिबास	6	--	--
केनरा बैंक	4,977	84	29
सिंडिकेट बैंक	60	केनरा बैंक में समामेलित	
कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	--	0.04	--
कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	3	8	1
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	309	6	3
सिटी बैंक एन.ए	11	9	3
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	11	15	5
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	--	--	2
क्रेडिट सुइस एजी	--	250	--
डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड	213	41	1
डीसीबी बैंक लिमिटेड	9	8	0.5
ड्यूश बैंक एजी	89	132	0.07
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	3	16	0.42
ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.32	0.70	0.04
फेडरल बैंक लिमिटेड	496	24	3
फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.08	8	0.48
फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	2	0.53	0.81
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	846	182	61
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्प. लिमिटेड	9	3	2
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1112	849	121
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	778	114	7
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	35	29	1

बैंक	वि.व. 2019-20	वि.व. 2020-21	वि.व. 2021-22
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	0.46	0.38	0.05
इंडियन बैंक	924	657	9
इलाहाबाद बैंक	9	इंडियन बैंक में समामेलित	
इंडियन ओवरसीज बैंक	409	81	96
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	312	591	23
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	29	84	0.40
जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	4	3	4
जेपी मॉर्गन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन	--	0.49	--
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	719	0.79	1
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	458	20	163
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	261	89	35
कृष्णा भीम समृद्धि लैब लिमिटेड	--	0.01	--
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	108	232	--
नैनीताल बैंक लिमिटेड	2	0.30	0.07
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.21	0.56	0.09
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	0.01	--	--
पंजाब एंड सिंध बैंक	1,921	159	2
पंजाब नैशनल बैंक	3,935	477	2169
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	18	पंजाब नैशनल बैंक में समामेलित	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	395		
आरबीएल बैंक लिमिटेड	4	25	2
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड	20	21	--
शिनहान बैंक	--	100	--
सोनाली बैंक	0.14	--	--
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	925	391	32
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	196	199	28
भारतीय स्टेट बैंक	696	4,038	200
सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	--	0.30	--
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.29	0.26	0.24
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	39	148	12
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	0.44	0.31	0.14
यूको बैंक	991	771	91
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	2	2	0.73
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,923	450	6
आंध्रा बैंक	54	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में समामेलित	
कॉर्पोरेशन बैंक	0.22		
उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0.26	14	0.01
वूरी बैंक	0.20	--	--
येस बैंक लिमिटेड	2286	816	1

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक

*****